न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :– राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.) दायर दिनांक: 30.01.2026

ग सख्या: 1/26
एमएस नं. 2026/20

उनवान

हनलाल पुत्र मोहरसिंह जाति जाट निवासी दीवली तहसील भुसावर जिला भरतपुर राज.। ——प्रार्थी

बनाम

ज. सरकार जरिये तहसीलदार, भुसावर जिला भरतपुर राज.। ——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत कराये जाने पत्थरगढ़ी
अन्तर्गत धारा 111, 128 आर.टी.ए. 1956

अधिवक्ता :– ——प्रार्थी
1 श्री सुरेन्द्र चौधरी

निर्णय दिनांक 12.05.2026

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.ए. के तहत पेश किया गया। जिसका ंक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 602 रकवा 0.1300 हेक्टेयर वाके ग्राम दीवली ाहसील भुसावर जिला भरतपुर मे प्रार्थी सम्पूर्ण भाग का खातेदार काश्तकार एवं काविज आराजी है। और उसी प्रकार से काविज रहकर शान्ति पूर्वक काश्त करता चला आ रहा है।

प्रार्थी ने अपनी खातेदारी की उपरोक्त आराजी की पैमाइश कराने के लिए अप्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर उपरोक्त आराजी की पैमाइश हेतु अप्रार्थी ने हल्का पटवारी दीवली सहित टीम गठित कर पैमाइश कर मौका रिपोर्ट तलब की गई। जिस पर हल्का पटवारी गठित टीम के साथ मौके पर पहुँचा, और अप्रार्थी तहसीलदार भुसावर के आदेश दिनांक 06.10.2025 की अनुपालना मे हल्का पटवारी दीवली द्वारा आराजी खसरा नम्बर 602 रकवा 0.1300 हेक्टेयर वाके ग्राम दीवली तहसील– भुसावर की दिनांक 21.11.2025 को सीमाज्ञान कराया गया। तथा मौके पर उक्त आराजी की सीमाये चिन्हित की गई। हल्का पटवारी दीवली द्वारा चिन्हित की गई सीमाओ मे निशानात कायम कर दिये गये थे।

हल्का पटवारी दीवली द्वारा आराजी खसरा नम्बर 602 रकवा 0.1300 हेक्टेयर के सम्बन्ध मे दिनांक 21.11.2025 को की गई पैमाइश के आधार पर दिनांक 10.12.2025 को प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के कार्यालय मे जाकर अप्रार्थी से पत्थरगढी कराने हेतु निवेदन किया। तो अप्रार्थी ने पत्थरगढी कराने से साफ इंकार कर दिया। तथा श्रीमान न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र पेश करने व आदेश लाने के लिए कह दिया। जिस पर उक्त प्रार्थना पत्र बिना किसी देरी के न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश किया जा रहा है।

प्रार्थी द्वारा सीमाज्ञान दिनांक 21.11.2025 के आधार पर प्रार्थी की आराजी खसरा नंबर 602 रकबा 0.13 हैक्टे. वाके ग्राम दीवली तह. भुसावर की पत्थरगढी कराये जाने बाबत निवेदन किया है।

हमने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक कराई गई।

हमने बहस पर प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली मे प्रस्तुत सीमाज्ञान मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 21.11.2025 का अवलोकन किया गया। मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट मौके पर मुताबिक नक्शा शीट मुस्तकिल बिन्दु कायम किये। मुस्तकिल बिन्दुओं से जरीब चलाकर उक्त खसरा नंबर के निशानात कायम किये तथा प्रार्थी को बताये गये। मौका पर्चा तैयार कर पढकर सुनाया गया व उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाये।

उपखण्ड अधिकारी

हमने बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड एवं प्रस्तुत सीमाज्ञान का पर्चा रिपोर्ट दिनांक 21.11.2025 का भली भांति अध्ययन किया गया। उक्त के आधार पर हम प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.ए. स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, भुसावर को निर्देशित किया जाता है कि आराजी खसरा नंबर 602 रकबा 0.13 हैक्टे. वाके ग्राम दीवली तह. भुसावर की भूमि के पूर्व दिनांक 21.11.2025 को निर्धारित सीमा चिन्ह के अनुसार पत्थरगढी कर मुकाम कायम किये जावे। साथ ही तहसीलदार, भुसावर को निर्देशित किया जाता है कि वक्त पत्थरगढ़ी स्वयं मौके पर उपस्थित रहें। यदि पुलिस इमदाद की आवश्यकता हो, तो नियमानुसार सक्षम अधिकारी से पुलिस इमदाद अपने स्तर से प्राप्त करें।

निर्णय आज दिनांक 12.05.2026 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)